रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2014/भाद्र 24, 1936
No. 266] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2014/BHADRA 24, 1936

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 15 सितम्बर, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2014

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2014-15/08/1491.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 में, अनुसूची-I में, भाग-ख में, शब्द "पाँच", शब्द "दस" से प्रतिस्थापित हो जायेगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./69-जेडबी/14/]

पाद टिप्पण : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/37/50 द्वारा, 9 जनवरी, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th September, 2014

Securities and Exchange Board of India

(Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2014

No. LAD-NRO/GN/2014-15/08/1491.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014, namely,–

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2014.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014, in Schedule I, in Part B, the word "five " shall be substituted with the word "ten".

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69-ZB/14]

Footnote : The SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India on January 09, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/37/50.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.